संख्या: 56/2016/660/छप्पन-2016-7/2013 टी0सी0

प्रेषक,

एस0के0 रघुवंशी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 29 जुलाई, 2016

विषय: राजकीय हेलीकाप्टर बेल-412 ई.पी.आई. पर कै0 जी0एस0 पड्डा एवं कै0 दिनेश श्रीवास्तव, पायलट (रोटर विंग) को मैसर्स हैट्स आफ ट्रेनिंग प्रा0लि0, बैंगलौर में शुल्क भुगतान के आधार पर हेलीकॉप्टर के डी लेवल, सिमुलेटर पर रिकरेन्ट ट्रेनिंग तथा क्रिटिकल इमरजेन्सी ट्रेनिंग सम्पादित कराये जाने की स्वीकृति/प्रशिक्षण शुल्क, एकोमोडेशन शुल्क का भुगतान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 963/ना0उ0नि0/आप्स-17-2016, दिनांक 05-01-2016 के क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या- 25/2016/254/छप्पन-2016-7/2013 टी0सी0, दिनांक 15.3.2016 एवं आपके पत्र संख्या- 65/लेखा-2016, दिनांक 25 अप्रैल, 2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कै0 जी0एस0 पड्डा एवं कै0 दिनेश श्रीवास्तव को मैसर्स हैट्स आफ ट्रेनिंग प्रा0लि0, बैंगलौर में शुल्क भुगतान के आधार पर हेलीकॉप्टर के डी लेवल, सिमुलेटर पर रिकरेन्ट ट्रेनिंग तथा क्रिटिकल इमरजेन्सी ट्रेनिंग दिनांक 15-2-2016 से दिनांक 20-2-2016 तक की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति इंगित शासनादेश दिनांक 15 मार्च, 2016 द्वारा निर्गत की गयी थी, किन्तु शासनादेश में उल्लिखित लेखाशीर्षक के इंगित मद में समुचित धनराशि वित्तीय वर्ष 2015-16 में उपलब्ध नहीं थी, जिस कारण स्वीकृत धनराशि रूपये 24,57,901/- (रूपये चौबीस लाख सत्तावन हजार नौ सौ एक मात्र) का आहरण नहीं किया जा सका है। कैप्टन पड्डा एवं कैप्टन श्रीवास्तव द्वारा निर्धारित समय में ट्रेनिंग पूर्ण कर ली गई है। प्रशिक्षणोपरान्त प्रशिक्षणदाता फर्म को प्रशिक्षण शुल्क/एकोमोडेशन शुल्क का भुगतान किया जाना है। अतः शासनादेश संख्या- 25/2016/254/छप्पन-2016-7/2013 टी0सी0, दिनांक 15.3.2016 को निरस्त करते हुए राज्यपाल महोदय कै0 जी0एस0 पड्डा एवं कै0 दिनेश श्रीवास्तव को दिनांक 15-2-2016 से दिनांक 20-2-2016 तक मैसर्स हैट्स आफ ट्रेनिंग प्रा0लि0 बंगलौर में किए गये प्रशिक्षण की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रशिक्षण शुल्क/एकोमोडेशन शुल्क के रूप में रू0 24,57,901/- (रूपये चौबीस लाख सत्तावन हजार नौ सौ एक मात्र) के व्यय की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

----2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान मैसर्स हैट्स आफ ट्रेनिंग प्रा0लि0, बैंगलौर को नियमानुसार वायर ट्रांसफर के माध्यम से किया जाय। स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं भुगतान तभी किया जाय जबकि शासनादेश संख्या- 25/2016/254/छप्पन-2016-7/2013 टी0सी0, दिनांक 15.3.2016 द्वारा स्वीकृत धनराशि का आहरण कोषागार से नहीं किया गया हो, इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए निदेशक एवं आहरण वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए उपलब्ध बजट व्यवस्था के अन्तर्गत ही किया जाय तथा यात्रा व्यय का भुगतान 04-यात्रा व्यय के मद से नियमानुसार किया जाय।

4- उक्त प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात कै0 जी0एस0 पड्डा एवं कै0 दिनेश श्रीवास्तव के लाइसेन्स में नियमानुसार पृष्ठांकन कर स्वीकृत धनराशि का समायोजन की सूचना शासन को तत्काल दी जाय।

5- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या 38 के आयोजनेत्तर पक्ष के लेखा शीर्षक "2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-आयोजनेत्तर-114-वाहन का क्रय तथा रख रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

संख्या: 56/2016/660(1)/छप्पन-2016- तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा) उ0प्र0, छठा तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
5- मैसर्स हैट्स आफ ट्रेनिंग एकेडमी प्रा0लि0, बैंगलौर।
6- सम्बन्धित अधिकारीगण।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in